

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
188/2020

तारीख दायर
22-09-2020

तारीख फैसला
12/04/2022

उनवान

01. काशीराम
02. वीरसिंह पुत्रान श्री नन्दलाल
03. संजय पुत्र मेदसिंह जाति अहीर निवासीगण खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. रामकिशन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
03. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा भिवाडी जिला अलवर (राजस्थान)
04. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिकलपुर गुर्जर जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: प्रतिवादीगण


दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--: निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। विवादित आराजी हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 शामिलता में काबिज-काश्त है। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 0.42 है0 में मिन वादी संख्या 1 का 2/9 हिस्सा, मिन वादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा, मिन वादी संख्या 3 का 2/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी निहित है जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। हम वादीगण का मौके पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण अर्सा दरार से शामिलता में मौके पर विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आज तक लिखित रूप में विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है राजस्व रिकार्ड में शामिलता में ही काबिज एवं दाखिल चले आ रहे है। विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह-खातेदार का हिस्सा है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।


दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

वादी संख्या 2 लगागत 4 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब
 गया। उपरिथत वादी ने वाद को डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।
 में दिनांक 26-10-2020 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर
 किया जाकर बाई भिदस एण्ड बाउण्डरा के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।
 चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./22/2980 दिनांक 03-03-2022 के द्वारा प्रकरण
 में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुरे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन
 किया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।
 अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 0.42
 है0 वाके ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के
 आदेश दिये जाते हैं।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	रामकिशन पुत्र रामप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा. देह खातेदार	419/1	0.14
02.	काशीराम पुत्र नन्दलाल हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन आई. डी.बी.आई. भिवाडी वीरसिंह पुत्र नन्दलाल हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन आई. डी.बी.आई. भिवाडी संजय पुत्र मेवसिंह हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन पी.एन.बी. मिलकपुर गुर्जर	419/2	0.28

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।
 पर्चा डिकी जारी हो।
 आदेश सुनाया गया।


 (महेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 तिजारा (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

उपखण्ड नम्बर
188/2020

तारीख दायर
22-09-2020

तारीख फैसला
12/04/2022

उनवान

01. काशीराम
02. वीरसिंह पुत्रान श्री नन्दलाल
03. संजय पुत्र मेदसिंह जाति अहीर निवासीगण खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. रामकिशन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. श्रीमान् तहसीलदार साहब तिजारा बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
03. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा भिवाडी जिला अलवर (राजस्थान)
04. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिकलपुर गुर्जर जिला अलवर (राजस्थान)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--: पर्चा डिकी :-

हाल आराजी खसरा नम्बर 419 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	रामकिशन पुत्र रामप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा. देह खातेदार	419/1	0.14
02.	काशीराम पुत्र नन्दलाल हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन आई.डी.बी.आई. भिवाडी वीरसिंह पुत्र नन्दलाल हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन आई.डी.बी.आई. भिवाडी संजय पुत्र मेवसिंह हि0 1/3 जाति अहीर सा. देह खातेदार रहन पी.एन.बी. मिलकपुर गुर्जर	419/2	0.28

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।

(महेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)